



रजिस्टर्ड/सीलड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-801/2026/451/22-2-2026-17(235)/2026

लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी राममूर्ति (बन्दी सं0-2745/एनबीएन) पत्नी स्व0 राजेन्द्र, ग्राम-कमलेपुरवा, थाना-तिर्वा, जनपद-कन्नौज का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-486/2016 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, पंचम, अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौज के आदेश दिनांक 03.11.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 07.10.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 11 माह 05 दिन की सजा भोगी गयी है, अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-801/2026/858(1)/22-2-2026 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
- 3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
- 4- अधीक्षक, नारी बंदी निकेतन, लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को रिट याचिका क्रिमिनल संख्या-4915(एम/बी) राममूर्ति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2026 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।